उत्तर प्रदेश शासन

वित्त (सामान्य) अनुभाग-3

संख्या: 19/2021/सा-3-633/दस-2021-301/2000टी0सी0

लखनऊ: दिनांक: 09 नवम्बर, 2021

कार्यालय-ज्ञाप

वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-2/2020-वे0आ0-1-314/दस-2020-8(एम)/2016, दिनांक 24 अप्रैल, 2020 द्वारा राज्य सरकार के कर्मचारियों को दिनांक 01 जनवरी, 2020, 01 जुलाई, 2020 तथा 01 जनवरी, 2021 से देय मंहगाई राहत की अतिरिक्त किश्तों को फ्रीज कर दिया गया था। वित्त (सामान्य) अनुभाग-3 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-6/2021/22099/1401/2020-वित्त अनुभाग-22-वित्त विभाग, दिनांक 24 अगस्त, 2021 सपठित कार्यालय-ज्ञाप/शुद्धि-पत्र संख्या-07/2021/आई/91548/2021-फा0नं0-10-22099/1401/2020-22, दिनांक 25 अगस्त, 2021 द्वारा राज्य सरकार के पेंशनरों/पारिवारिक पेंशनरों को दिनांक 01 जुलाई, 2021 से मंहगाई राहत को 17 प्रतिशत की दर से बढ़ाकर 28 प्रतिशत किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गयी है।

2- भारत सरकार के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-1(5)/ईवी/2020, दिनांक 7 सितम्बर, 2021 द्वारा निम्नवत् निर्णय लिया गया है:-

''4. Keeping in view that gratuity and cash payment in lieu of leave are one-time retirement benefits admissible to employees on retirement and employees who retired during the period from 01.01.2020 to 30.06.2021 have been allowed lesser amount than what would have been calculable but for the aforesaid orders of this Ministry dated 23.04.2020 and 20.07.2021, the matter has been considered sympathetically with a view to allowing the same to such employees.

5. accordingly, the President is pleased to decide that in respect of Central Government employees who retired on or after 01.01.2020 and up to 30.06.2021, the amount of DA to be taken into account for calculation of gratuity and cash payment in lieu of leave will be deemed to be as under:-

Employees retiring during the period	Notional Percentage of Dearness Allowance (DA) for calculation purpose
From 01.01.2020 to 30.06.2020	21% of basic pay
From 01.07.2020 to 31.12.2020	24% of basic pay
From 01.01.2021 to 30.06.2021	28% of basic pay

3- भारत सरकार के उपरोक्त कार्यालय-ज्ञाप के क्रम में राज्य सरकार द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि दिनांक 01 जनवरी, 2020 से 30 जून, 2021 तक सेवानिवृत्त सरकारी

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

कार्मिकों के ग्रेच्युटी एवं राशिकरण का भुगतान उनके मूल वेतन में निम्नलिखित दरों पर मंहगाई राहत को जोड़ते हुए किया जाये:-

अवधि जिसके मध्य कार्मिक सेवानिवृत्त हुए	गणना हेतु मंहगाई भत्ते की दर
दिनांक 01-01-2020 से 30-06-2020 तक	मूल वेतन का 21 प्रतिशत
दिनांक 01-07-2020 से 31-12-2020 तक	मूल वेतन का 24 प्रतिशत
दिनांक 01-01-2021 से 30-06-2021 तक	मूल वेतन का 28 प्रतिशत

नील रतन कुमार
विशेष सचिव, वित्त।

संख्या: तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

(1)-महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)-1 व 2 एवं ऑडिट-1 व 2, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
(2)-समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
(3)-निदेशक, पेंशन निदेशालय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
(4)-निदेशक, कोषागार, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
(5)-निदेशक, वित्तीय प्रबन्धन, प्रशिक्षण एवं शोध संस्थान, इन्दिरानगर, लखनऊ।
(6)-निदेशक, वित्तीय सांख्यिकी निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।
(7)-विशेष सचिव, श्री राज्यपाल सचिवालय, उ०प्र० शासन।
(8)-विशेष सचिव, इरला चेक अनुभाग, उ०प्र० शासन।
(9)-उत्तर प्रदेश सचिवालय के समस्त अनुभाग।
(10)-मुख्य लेखाधिकारी, विधान सभा/विधान परिषद, उत्तर प्रदेश।
(11)-समस्त मण्डालायुक्त, उत्तर प्रदेश।
(12)-समस्त अपर/संयुक्त निदेशक, कोषागार एवं पेंशन, उत्तर प्रदेश।
(13)-समस्त जिलाधिकारी/समस्त मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश।

आज्ञा से,

नील रतन कुमार
विशेष सचिव, वित्त।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।